S.N-12

दिल्ली विधान सभा
Delhi Legislative Assembly

सामान्य प्रयोजन समिति
General Purposes Committee

प्रथम प्रतिवेदन
First Report

दिनांक 31 मार्च, 2010 को प्रस्तुत

Presented on 31st March, 2010

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली- 110054

Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054

समिति की सदस्यता
COMPOSITION OF COMMMITTEE
सामान्य प्रयोजन समिति

1	ड़ॉ. योगानन्द शास्त्री	सभापति
2.	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह	सदस्य
3.	ड़ॉ. बिज़ेन्द्र सिंह	सदस्य
4.	श्री विपिन शर्मा	सदस्य
5.	श्री जसवंत सिंह	सदस्य
6.	श्री सुमेश शौकीन	सदस्य
7.	श्री साहब सिंह चौहान	सदस्य
8.	श्री अनिल झा	सदस्य
9.	श्रीकृष्ण त्यागी	सदस्य

विधान सभा सचिवालय
Assembly Secretariat

1.	श्री सिद्धार्थ राव	सचिव
2.	श्रीमति शिमला	संयुक्त सचिव (विधायी)
3.	श्री लाल मणी	उप सचिव (विधायी)

दिल्ली विधान सभा

सामान्य प्रयोजन समिति
प्रथम प्रतिवेदन

सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2010 को अपराह्न 4:30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष पुराना सचिवालय में संपन्न हुई।

समिति द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्णय लिये गए:–

1. आचरण समिति का गठन:

समिति को बताया गया कि, **आचरण,** मानको व नियमों का समूह होता है जो व्यक्ति या व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। सदन की आचरण समिति एक स्वत: नियमित आतंरिक समिति होती है जिसका उद्वेश्य सदस्यों में व्यवहार के मानकों को पोषित करना होता है।

देश व दुनिया के अन्य विधान मंडलों में इस प्रकार की समितियों का प्रावधान है ब्रिटिश संसद में एक मानक एवं विशेषाधिकार समिति कार्यरत है जो संसदीय आयुक्त के कार्यो को देखती है तथा सदस्यों के मानक आचरण व आचार संहिता के उलंघन से संबंधित शिकायतों का निपटारा भी करती है,

इसी प्रकार अमरीकी कांग्रेस में भी सीनेट की आचार–नीति पर एक समिति है, तथा निम्न सदन (House of Reprsentatives) में मानक व कार्यालयी आचरण पर एक समिति है। ये दोनों समितियां मानकों/आचार नीति/ आचार संहिता से संबंधित मामलों की जॉच करती है।

भारत में भी राज्य सभा तथा लोक सभा में आचार नीति समितियों का प्रावधान है, ये समितियां आचार संहिता व नैतिकता से संबंधित मामलों के साथ–साथ सदस्यों के अनुचित व्यवहार से संबंधित मामलों की जॉच करती हैं तथा अपने कार्य निष्पादन के लिए आचरण समिति के नियमों व कार्य पद्धति का अनुसरण करती है। लोक सभा की आचरण समिति ने अपने प्रतिवेदनों में सदस्यों के नैतिक आचरण व व्यवहार के नियमों का सख्ती से पालन कराये जाने पर बल दिया है।

देश की आदर्श विधान सभाओं में गिनी जाने वाली दिल्ली विधान सभा में अभी तक इस तरह की समिति का गठन नही हुआ है। अतः यहां भी आचरण समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता है।

2. **पुराना सचिवालय परिसर में स्थित दिल्ली सरकार के कार्यालयों को खाली किये जाने के संबंध में :**

समिति को यह भी बताया गया कि पुराना सचिवालय परिसर में स्थित दिल्ली सरकार के कार्यालयों को खाली किये जाने के संबंध में पिछले कई वर्षो से प्रयास किए जा रहे हैं काफी संख्या में ऑफिस यहां से स्थान्तरित हो चुके हैं परन्तु अभी भी कुछ कार्यालय यहां पर काम कर रहे है। समिति का मत है कि केवल बैंक एवं डिस्पेंसरी को छोडकर बाकी सभी कार्यालयों को खाली करने के लिए कारवाई की जानी चाहिए, ताकि पुराना सचिवालय परिसर का मूल स्वरूप कायम रह सकें और विधान सभा की कुछ शाखाएं खाली किए गए कार्यालयों में स्थानांतरित हो सकें।

3. **पुराना सचिवालय परिसर को विस्तरित किये जाने के संबंध में :**

समिति ने यह भी निर्णय किया कि पुराना सचिवालय परिसर को विस्तारित किये जाने और इसके मूल रूवरूप को बनाए रखने के संबंध में यह आवश्यक है कि परिसर के साथ में स्थित खाली भूमि पर विधान सभा एनेक्सी, कमेटी रूम्स, एमएलए होस्टल आदि बनाये जाने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाए, और इस संबंध में दिल्ली राज्य औघोगिक विकास निगम लिमिटेड को जोडते हुए अवलोकन पत्र **(Vision Paper)** तैयार किया जाये ताकि जल्द ही यह विस्तारित योजना कियान्वित हो सके।

(ड़ॉ योगानन्द शास्त्री)
अध्यक्ष एवं सभापति
सामान्य प्रयोजन समिति

दिल्ली,
दिनांक 31 मार्च, 2010